माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / सं.अ.सं. / 2026 / 626 दिनांक 02/06/ 2026

अधिसूचना - 2026

विश्वविद्यालय से संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में नवीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (Certificate Course) संचालित किये जाने संबंधी

(केवल म.प्र. राज्य की संबद्ध कम्प्यूटर/आई.टी. अध्ययन संस्थाओं हेतु)

विश्वविद्यालय की संबद्ध अध्ययन संस्थाओं (कम्प्यूटर, आई.टी.) में सत्र जुलाई **2026** से नवीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों (Certificate Courses) के संचालन हेतु, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. संचालित किये जाने वाले प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

(सत्र जुलाई 2026 से संचालन हेतु)

A. सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग **(CCDM)**

CERTIFICATE COURSE IN DIGITAL MARKETING

B. सर्टिफिकेट कोर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग **(CCFA)**

CERTIFICATE COURSE IN FINANCIAL ACCOUNTING

2. पाठ्यक्रम संबंधी विवरण

- पाठ्यक्रम अवधि : 06 माह
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण
- अध्ययन संस्था द्वारा छात्र से लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क :
  ₹4,000/- (न्यूनतम) से ₹7,500/- (अधिकतम) प्रति विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम
- प्रति पाठ्यक्रम सीट संख्या :
  A. सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग **(CCDM)** - 30
  B. सर्टिफिकेट कोर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग **(CCFA)** - 30

3. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को देय प्रति विद्यार्थी निर्धारित शुल्क विवरण

- समस्त शुल्क DCA पाठ्यक्रम के एक सेमेस्टर के नियमानुसार लागु होंगे।

4. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

- पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु समिति का ठहराव / प्रस्ताव।
- पंजीयक कार्यालय (Firms & Society) द्वारा समिति की अनुमोदित नवीनतम धारा 27 की प्रति।

5. अधोसंरचना एवं नियामकीय प्रावधान

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक अधोसंरचना, विश्वविद्यालय विनियम (Regulation) 18/2008 के नियम 11 (*Norms of Association for Computer and IT Courses*) के अंतर्गत बिंदु 11.3 (*Infrastructure Requirement for DCA/PGDCA Course*) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होना आवश्यक होगी।

6. आवेदन संबंधी नियम एवं शर्ते

1. संस्था किसी एक अथवा दोनों पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन कर सकती है।
2. ऑनलाइन आवेदन हेतु एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 22 जून 2026 रात्रि 12:00 बजे तक खुला रहेगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमोदित संबद्ध अध्ययन संस्थाओं की सूची जारी करने की अंतिम तिथि 30-06-2026।
4. आवेदक अध्ययन संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम आवेदन MPONLINE PORTAL के माध्यम से आमंत्रित हैं।
5. आवेदक अध्ययन संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को प्रति पाठ्यक्रम आवेदन/पंजीयन/प्रसंस्करण शुल्क **राशि ₹5,000/- + लागू जीएसटी (अप्रतिदेय शुल्क (Non-refundable Fee)** देय होगा।
6. MPONLINE PORTAL के माध्यम से पाठ्यक्रम आवेदन हेतू पूर्व निर्धारित **पोर्टल शुल्क : ₹200/-** है जो आवेदक संस्था द्वारा देय होगा। वही आवेदन पत्र स्वीकार किये जाएंगे जिनमें निर्धारित आवेदन/पंजीयन/प्रसंस्करण एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान किया गया हो एवं आवेदन पत्र में Transaction ID अंकित हो।
7. समस्त शुल्क का भुगतान MPONLINE PORTAL के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
8. वे सभी संस्थाएँ जो अधिसूचना जारी होने की तिथि पर **No Admission Category** में हों अथवा जिन पर शिक्षण शुल्क अंशदान, सुरक्षा निधि या नवीनीकरण शुल्क आदि मदों में कोई राशि बकाया हो, उनके आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
9. सभी आवेदनों पर विश्वविद्यालय संबद्ध अध्ययन संस्थाओं हेतु लागू रेग्युलेशन क्रमांक 18/2008 के नियम प्रभावी होंगे। उक्त रेग्युलेशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध है।
10. केवल आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से संस्था को स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा तथा सभी प्रकरणों में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
11. विश्वविद्यालय द्वारा औपचारिक आदेश जारी किये जाने से पूर्व किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार ना किया जाये ऐसा किये जाने पर शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
12. निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

13. ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान पूर्ण होने के पश्चात आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर संचालक/सचिव के हस्ताक्षर एवं संस्था की सील सहित, आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर निम्नलिखित पते पर निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून 2026 तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा —

निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, बिशनखेड़ी, भोपाल (म.प्र.) – 462044

विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव

क्रमांक:...627...... /सं.अ.सं./2026 भोपाल, दिनांक:02./06/2026

प्रतिलिपि:

- निज सचिव, कुलगुरु — सूचनार्थ।
- निज सहायक, कुलसचिव — सूचनार्थ।
- परीक्षा नियंत्रक — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त विभागाध्यक्ष एवं परिसर प्रभारी — सूचनार्थ।
- सहायक कुलसचिव (अकादमिक) — सूचनार्थ।
- वित अधिकारी — सूचनार्थ।
- प्रभारी, एमपीऑनलाइन (MPOnline)—एमपीऑनलाइन पोर्टल पर आवश्यक अद्यतन (Updation) करने हेतु।
- प्रभारी, वेबसाइट (MCU) — विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने हेतु।
- ऑनलाइन शाखा, ए.एस.आई. (ASI) विभाग — आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव